

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा बहुददेशीय परियोजना/
मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्प्लेक्स/ईचा-गालूडीह कम्प्लेक्स, सुवर्ण रेखा परियोजना;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रांची, दिनांक : 22/09/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना के विभिन्न कार्य प्रमंडलों को सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रु. 1271.78 लाख (रु. बारह करोड़ एकहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतादेश सं.-19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.2010 Online AA-1466/01.11.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है
(लाख रु. में)

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट उपबंध	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आबंटन	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोगिता,	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49C470080796120545	14000.00	0.00	0.00	0.00
2.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	80-सामान्य / 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49C470080789120545	6000.00	0.00	1271.78	1271.78
3.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोगिता,	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080796120545	5000.00	0.00	0.00	0.00
4.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	80-सामान्य / 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080789120545	4000.00	0.00	0.00	0.00
5.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोगिता,	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080796130545	2500.00	0.00	0.00	0.00
6.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	80-सामान्य / 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080789130545	2500.00	0.00	0.00	0.00
7.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	80-सामान्य, / 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोगिता,	11-उडीसा/पश्चिम बंगाल की शेरार राशि, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080796110545	2645.00	0.00	0.00	0.00
कुल				36645.00	0.00	1271.78	1271.78
8.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि		मार्च, 2020 तक योजना पर कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल निर्गत आवंटन		योजना पर कुल निर्गत आवंटन	
	661374.00		654164.42526	1271.78		655436.20526	

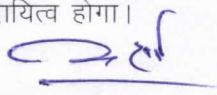
वर्तमान आवंटित राशि - ₹ बारह करोड़ एकहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय निम्न वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा:—
(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	विपत्र कोड	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में			On-line Allotment Access No	अभ्युक्ति
							पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	लघु वितरणी प्र० सं०-2, चाण्डिल शिविर डिमना, जमशेदपुर (JSRIRR009)	12149C470080789120545	ईचा- गालूडीह / चांडिल कॉमलेक्स	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	661374.00	656164.42526	0.00	50.59	50.59	45110	
2.	लघु वितरणी प्र० सं०-4, गालूडीह (JSRIRR072)						0.00	476.80	476.80	45112	
3.	खरकई लिंक नहर प्रमंडल, मुसाबनी (JSRIRR029)						0.00	693.41	693.41	45114	
4.	बांध एवं बराज रूपांकण प्रमंडल, जमशेदपुर (JSRIRR016)						0.00	0.98	0.98	45119	
5.	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर (SKLIRR032)						0.00	50.00	50.00	45122	
योग							0.00	1271.78	1271.78		

3. आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध (49C470080789120545) ₹ 6000.00 लाख (₹ साठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि योजना-सह-विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-1135, दिनांक-01.07.2020 के आलोक में केन्द्र प्रयोजित योजना के केन्द्रांश की राशि है।
5. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
6. आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट II) 19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं सक्षम अधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
7. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।



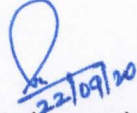
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

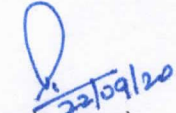
नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no कंडिका-2 के स्तंभ-10 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 32

राँची, दिनांक :- 22/09/2020

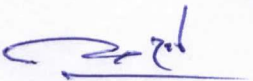
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसौवा/चाईबासा/चाण्डिल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 32

राँची, दिनांक :- 22/09/2020

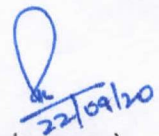
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)
सचिव